प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 16.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी यातायात द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को पढाया यातायात नियमों का पाठ...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्देश्य से निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 16.06.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बिना हेलमेट/शीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट/शीटबेल्ट के महत्व को बताते हुए यातायात नियमों का पाठ पढाया गया।

इसी क्रम में शहर के मुख्य स्थानों पर काली फिल्म, हूटर, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की चेकिंग की गई एवं चालान किए गए । यातायात पुलिस टीम द्वारा आमजनमानस/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी को यातायात नियमों का पालन किये जाने की अपील की जा रही है, जिससे जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 16.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा योग सप्ताह के दूसरे दिन

रिजर्व पुलिस लाइन महोबा में किया गया योग शिविर का आयोजन ।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सत्यम द्वारा आज दिनांक 16.06.2024 को दशम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अंतर्गत 15 से 21 जून तक आयोजित योग सप्ताह के द्वितीय दिन पुलिस लाइन महोबा में योग शिविर का आयोजन किया गया । इस अवसर पर योग प्रशिक्षक द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने के लिए योगाभ्यास कराया गया तथा बताया गया कि योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार किया जाता है अपितु इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कमियों को भी दूर किया जा सकता है, तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योगासनों को दिनचर्या में शामिल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों व पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाओं में नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा भी योगाभ्यास किया गया। योगाचार्य द्वारा कहा गया कि प्रकृति से जुड़कर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर शुद्धता एवं स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने पुलिस के जवानों को विभिन्न आसन और प्राणायाम मुद्राओं का भी अभ्यास कराया ।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने

अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक 15.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार मय हमराह कां0 नरेन्द्र बाबू के द्वारा 01 नफर अभियुक्त शंकरलाल विश्वकर्मा पुत्र शिवचरन विश्वकर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम बम्हौरी काजी थाना कबरई जिला महोबा को बरी तिराहा ग्राम बम्हौरी काजी के पास से 20 क्वाटर अवैध देशी शराब के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 166/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शंकरलाल विश्वकर्मा पुत्र शिवचरन विश्वकर्मा उम्र 37 वर्ष
निवासी ग्राम बम्हौरी काजी थाना कबरई जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार
2. कां0 नरेन्द्र बाबू

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 16.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

संशोधित नये कानून (भारतीय न्याय संहिता/भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आज दिनांक 16.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने वाली नवीन आपराधिक विधियों यथा भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 व नवीन अन्य अधिनियमों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण व विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम की उपस्थिति में श्री कृष्णपाल अभियोजन अधिकारी महोबा एंव श्री प्रमोद पालीवाल, विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट जनपद महोबा के द्वारा संशोधित नये कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) का जनपदीय पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इस दौरान मीटिंग में क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें ।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने

एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह उ0नि0प्रशिक्षु प्रशान्त दीक्षित के द्वारा 01 नफर वारण्टी अभि0 घनश्याम यादव पुत्र भूरा यादव उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम सुनैचा थाना कबरई जनपद महोबा को सम्बन्धित अ0सं0 363/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मान0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के आधार पर ग्राम सुनैचा थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. घनश्याम यादव पुत्र भूरा यादव निवासी ग्राम सुनैचा थाना कबरई जनपद महोबा उम्र 52 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. उ0नि0प्रशिक्षु प्रशान्त दीक्षित